न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 69 / 2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/ 85)

1. सुन्दर पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासीगण गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. भरतसिह
3. जगदीश
4. सीताराम

(क्रमांक 2 से 4) पिसरान दुनीराम जाति जाट निवासीगण गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

5. शिलोचना पुत्री दुनीराम पत्नी प्रहलाद सिह जाति जाट निवासी शेखपुर दड़ौली तहसील भट्ठूकला जिला फतेहाबाद
6. सावित्री पुत्री दुनीराम पत्नी भीमसिह जाति जाट निवासी शेखपुर दड़ौली तहसील भट्ठूकला जिला फतेहाबाद
7. कमलेश पुत्री दुनीराम पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी अरणीयावाली तहसील व जिला सिरसा
8. समेश्ता पुत्री दुनीराम पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी अरणीयावाली तहसील व जिला सिरसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजकौरी बेवा श्योनन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना त. व जिला सिरसा
2. राजबाला पुत्री श्योनन्द पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. कुम्भाराम पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. मिट्ठु उर्फ सुनीता पुत्री श्योनन्द पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी खारी सुरेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
5. बंशीलाल पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना त. व जिला सिरसा
6. सन्तरो देवी पुत्री श्योनन्द पत्नी आदराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. बलराम उर्फ सुरेश उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा
8. मु. कलोदेवी बेवा ताराचन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा
9. वेदप्रकाश पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना त. व जिला सिरसा
10. महेन्द्र सिह
11. राजेन्द्र उर्फ राजकुमार

(क्रमांक 10 व 11) पिसरान ताराचन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा

12. ग्राम पंचायत नेठराना बजरिये सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
13. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नेठराना

रेस्पोडेंट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थित: 1. श्री नरेन्द्र गौड़ – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विजय कुमार पारीक –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 11
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक: 16.01.2024**

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ के मि0 नं0 09/2017 निर्णय दिनांक 04.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में चक 3 एनटीआर ग्राम पंचरायत नेठराना द्वारा स्वीकृत इंतकाल सं. 44 दिनांक 16.10.1977 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त इंतकाल को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.11.2022 द्वारा अपील मियाद अवधि से बाहर होने एवं कानून की दृष्टि से बलहीन मानकर अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2022 व नामान्तरकरण सं. 44 दिनांक 16.10.1977 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 12 एवं 13 निमित साधारण नोटिस/रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 13 की ओर से श्री महेश कुमार बाना एडवोकेट दिनांक 24.07.2023 को उपस्थित हुवे, वकालतनामा प्रस्तुत नही किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुवे। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक 3 एन टी आर में 30.08 बीधा व चक 1 बी आर डब्ल्यू में 13.16 बीधा भूमि रामजी व गणपत पिसरान लेखू की आवटन शुद्दा कृषि भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी। गणपत अविवाहित थ उसने अपने जीवनकाल मे अपनी उपरोक्त 1/2 हिस्से की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अपने सगे भतीजे दुनीराम पुत्र रामजी के नाम लिखकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रूबरू गवाहान दिनांक 07.02.1966 को सब रजिस्ट्रार सिरसा के यहा रजिस्टर्ड करवा दी थी। गणपत के स्वर्गवास पश्चात उक्त भूमि के समस्त अधिकार दुनीराम को प्राप्त हो चुके थें। परन्तु इसके बावजूद भी नामान्तकरण सं. 44 दिनांक 16.10.1977 दुनीराम के नाम दर्ज करने के बजाय एकतरफा तौर पर रामजी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज कर दिया तथा नामान्तकरण सं. 45 दिनांक 16.10.1977 द्वारा उपरोक्त भूमि रामजी के स्वर्गवास के आधार पर केवल मात्र श्योनन्द व ताराचन्द के नाम से दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त नामान्तकरण अवैध एवं शुरू से ही प्रभावशून्य होने के कारण उसका कानून की नजर मे कोई अहमियत नही है तथा इन आधारहीन नामान्तकरण के पश्चात दर्ज किये गये नामान्तकरण सं. 49, 50 दिनांक 22.3.78 व नामान्तकरण सं. 227 दिनांक 8.1.96 को कोई विधिक महत्व नही होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तकरण की प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.11.2022 के द्वारा उपरोक्त अपील मे निहित महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओ पर सुनवाई किये बगैर केवल मात्र मियाद के तकनीकी बिन्दु पर ही खारिज कर दिया। जबकि उच्चतर न्यायालयो द्वारा अपने अनेक न्यायिक निर्णयो के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि तकनीकी आधारो पर किसी व्यक्ति को न्याय से वचिंत नही किया जाना चाहिए। मियाद के बिन्दु पर निर्णय करने से पूर्व भी प्रकरण के गुणावगुण पर आवश्यक रूप से मनन करना चाहिए। जहा मामला मेरिट पर मजबूत होता है वहा अपील में मियाद का बिन्दु गौण होता है। अपीलान्ट वर्ष 2016 में दुनीराम के स्वर्गवास के पश्चात वाद मे पक्षकार बने है एवं वर्ष 2017 में अपील पेश कर दी तो ऐसी स्थिति में अधीनसथ न्यायालय द्वारा बार–बार 40 वर्ष किस आधार पर विलम्ब का उल्लेख करना सरासर गलत एव रिकार्ड के विपरित होने से काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय केवल मात्र मियाद के बिन्दु पर किया गया है मेरिट पर किसी प्रकार की सुनवाई व विचार ही नही किया गया है तो फिर समरी ट्रायल से अपील के बलहीन होने के कथन निर्णय मे कहा से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उत्पन्न हो गये। ऐसी स्थिति से बिना सुनवाई के काल्पनिक एव मनगढत आधार पर पारित निर्णय हर प्रकार से काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनाक 04.11.2022 व नामातकरण सं. 44 दिनांक 16.10.1977 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1994 पृष्ठ 505, RRT 2016 (2) पृष्ठ 971, RRT 2017 (2) पृष्ठ 1105, RRT 2020 (2) पृष्ठ 791, CIVIL COURT CASES 2018 पृष्ठ 631, RRT 2017 (2) पृष्ठ 1047, LIVE LAW (SC) 307 IN THE SUPREME COURT OF INDIA, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में सभी अलग–अलग आदेश की, एक साथ एक ही तारीख पर वर्ष 2017 में अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। अलग–अलग इन्तकाल है, जिसमे 40 वर्ष हो गये है। उक्त वाद भूमि का नामान्तकरण ग्राम पंचायत नेठराना मे जांच के बाद तस्दीक हुआ है । अपीलान्ट को दुनीराम की मृत्यु के बाद लगभग 40 वर्ष के बाद तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर अपील पेश करने के किसी प्रकार से कानूनी अधिकार नही है, क्योकि उक्त भूमि गैर खातेदारी की भूमि थी जिसकी वसीयत नही हो सकती है। गैर खातेदारी की वसीयत शुरू से शून्य होती है जिसका इन्तकाल नही हो सकता है। वर्ष 1993 मे दूनीराम द्वारा एक दावा पेश किया गया जिसमे श्योचन्द व ताराचन्द पक्षकार है। इस प्रकार अपीलान्ट्स को वर्ष 1993 में ही उक्त इन्तकाल तस्दीक होने की जानकारी प्राप्त हो गई थीं। उसके बाद एक संशोधित दावा वर्ष 2001 में पेश हुआ जिसमे परिवार के सभी लोगो को जानकारी प्राप्त हो गई थी और वो दावा आज भी जैरकार है। उसके बाद दुनीराम की मृत्यु वर्ष 2016 में होती है, मृत्यु के बाद वर्ष 2017 में 1 साल 7 महिने बाद अपील पेश की गई है। अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष अपील के साथ दफा –5 का प्रार्थना पत्र पेश किया वो झूठा था। क्योकि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट्स को जानकारी पहले वर्ष 1993, 2001 फिर 2016 मे हो गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को मियाद के बिन्दु पर सही खारिज किया गया है। साथ ही जिस भूमि बात अपील जैरकार है इसी भूमि बाबत व इन्ही पक्षकारान के बीच सिविल न्यायालय में वाद जैरकार है तथा सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश है। जो कुछ भी तैय होगा व दावा में तैय हो जायेगा। अतः अपीलान्ट की अपील दाखिल दफ्तर की जावे या खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2010 पृष्ठ 392, RRD 2002 पृष्ठ 12, RRD 2006 पृष्ठ 366, RRD 1986 पृष्ठ 22 , RRD 1981 पृष्ठ 87, RRD 1994 पृष्ठ 276, RRD 2007 पृष्ठ 311, RRD 2000 पृष्ठ 557, RRD 1994 पृष्ठ 23, RRD 2010 पृष्ठ 525, RRD 2016 पृष्ठ 777, RRD 2012 पृष्ठ 104, RRD 1999 पृष्ठ 99, RRD 2011 पृष्ठ 786, RRD 2010 पृष्ठ 527, RRD 2003 पृष्ठ 244, RRD 2011 पृष्ठ 386, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ के मि.नं. 09/2017, के निर्णय दिनांक 04.11.2022 व चक 3 एनटीआर ग्राम पंचायत नेठराना के द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 44 दिनांक 16.10.1977 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2022 व इंतकाल संख्या 44 दिनांक 16.10.1977 को निरस्त करने का अर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा इंतकाल संख्या 44 दिनांक 16.10.1977 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में दिनांक 20.09.2017 को अपील प्रस्तुत की गई, तथा विलम्ब से प्रस्तुत अपील की अवधि को कण्डोन करने का संतोषजनक, कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियांद के बिन्दु पर अपील को खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा –5 के प्रार्थना पत्र में केवल यह अंकित किया है कि अपीलान्ट्स के पिता दुनीराम भोला अनपढ व्यक्ति थे, प्रकरण की जानकारी उनके पिता की मृत्यु दिनांक 07.02.2016 को हो जाने के बाद हुई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में ठोस आधारो एवं औचित्यपूर्ण कारणो का अभाव रहा। अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में केवल धारा 5 के प्रार्थना पत्र में यह कहना युक्तियुक्त एवं सन्तोषप्रद कथन नही है कि उन्हे उक्त इंतकाल की जानकारी नही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी म्याद बिन्दु के संबध में प्रतिपादित किया है कि :

IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION,CIVIL APPEAL NOS. 6414-6417 OF 2008 (Arising out of SLP(c) Nos.201011-21014 of 2007) Pundlik Jalam Patil (D) by Lrs. Versus Exe.Eng.Jalgaon Medium Project & Anr.

"For the aforesaid reasons, we hold that the high court gravely erred and excercised its discretion to condone the inordinate delay of 1724 days though no sufficient cause has been shown by the applicants. It is for that reason, we interfere with the decision of the high court and set aside the same. The appeals are accordingly allowed without any orders as to costs."

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2022 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर